

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : अ.मु.अ.तृतीय/2017-18/156

दिनांक : 06/07/2017

आदेश

विषय :- RERA अधिनियम व नियम के तहत परियोजनाओं के पंजीयन हेतु जारी आदेशों की अनुपालना बाबत।

संदर्भ :- आवासन आयुक्त का आदेश क्रमांक अ.मु.अ.तृतीय/2017-18/115 दिनांक 21.06.2017

THE REAL ESTATE (REGULATION AND DEVELOPMENT) ACT 2016 (RERA) & RAJASTHAN GOVERNEMENT RULES 2017 के तहत मण्डल की वर्तमान में चल रही परियोजनाओं के साथ-साथ नवीन परियोजनाओं के पंजीयन हेतु उपरोक्त संदर्भित आदेश के द्वारा समयबद्ध दायित्व निर्धारित किये गये हैं।

RERA Act/ Rules की अनुपालना में सहायता व मार्गदर्शन हेतु सनदी लेखाकार फर्म **M/s Kalani & Co.** की नियुक्ति कर दी गयी है, कार्यादेश की प्रति अतिरिक्त मुख्य अभियंता, तृतीय कार्यालय द्वारा क्रमांक 138 दिनांक 04.07.2017 से आपको प्रेषित कर एवं मण्डल के वेबसाईट पर अपलोड तथा आपको ई-मेल भी की जा चुकी है जिसमें फर्म का डाक का पता एवं ई-मेल एड्रेस भी दिया गया है, फर्म के संबंधित प्रतिनिधि की अन्य सूचनाएँ निम्नानुसार है :-

1. श्री जगदीश सोमानी, सनदी लेखाकार मो. नं. 9829888805, 0141-2709001

अतः अधोहस्ताक्षरकर्ता के संदर्भित आदेश दिनांक 21.06.2017 के द्वारा आपको समयबद्ध रूप से जो दायित्व पूर्ण करने है उनके लिये उक्त फर्म से सहायता व मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।


(डॉ. के.बी. गुप्ता)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव- अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव- आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. मुख्य अभियंता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
7. समस्त उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त
8. समस्त आवासीय अभियंता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड
9. प्रभारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि समस्त संबंधितों के ई-मेल पर उक्त पत्र प्रेषित करावें एवं मण्डल की वेबसाईट पर महत्वपूर्ण आदेशों में अपलोड करावें।
10. रक्षित पत्रावली


मुख्य अभियंता (मुख्यालय),
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर